झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

संकल्प

सं० सं० –5/स०भू० लातेहार– 1/2010.....1817...../रा० राँची, दिनांक– 30-4-15

विषयः– **झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/ कम्पनियों/ प्रतिष्ठानों/ उद्यमों/ एजेन्सियों/ निगम/ बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अन्तर्गत गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल–सखुआ, जंगल इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम,1980 के तहत अपयोजन हेतु अधिकतम 25.00 (पच्चीस) एकड़ भूमि तक संबंधित उपायुक्त एवं 25.00 (पच्चीस) एकड़ से अधिक भूमि का संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं०– 202/95, टी० गोदावर्मण थिरमूलपाद–बनाम्–भारत सरकार में पारित आदेश के आलोक में Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल–सखुआ, जंगल इत्यादि) के गैर वानिकी अपयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम ,1980 के तहत भारत सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है। राजस्व विभागीय परिपत्र सं०–1521/रा०, दिनांक–08.06.2010 के तहत विभिन्न सरकारी विभागों/कम्पनियों/प्रतिष्ठानों/उद्यमों/एजेन्सियों/निगम/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अन्तर्गत गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल– सखुआ, जंगल इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अपयोजन हेतु एक परियोजना के लिए अधिकतम 10.00 (दस) एकड़ भूमि तक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की शक्ति संबंधित उपायुक्त में अन्तर्निहित है तथा 10.00 (दस) एकड़ से उपर भूमि के लिये शक्ति राज्य सरकार में अंतर्निहित है।

2. मंत्रिपरिष्द् की बैठक दिनांक–28.04.2015 के मद संख्या–15 में लिए गए निर्णयानुसार भारत सरकार/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कम्पनियों/प्रतिष्ठानों/ उद्यमों/ एजेन्सियों/ निगम/ बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अन्तर्गत केवल गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल–सखुआ, जंगल इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अपयोजन हेतु अधिकतम 25.00 (पच्चीस) एकड़ भूमि तक संबंधित उपायुक्त एवं 25.00 (पच्चीस) एकड़ से अधिक गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा निर्गत किया जायेगा।

3. गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) के अपयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुरोध पर गैर मजरूआ भूमि के हस्तान्तरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभिलेखों का गठन कर संबंधित उपायुक्त अपनी अनुशंसा एवं भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्राप्त अंतिम स्वीकृति पत्र को संलग्न करते हुए भूमि हस्तान्तरण हेतु अभिलेख संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से प्रस्ताव/अभिलेख राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) के सशुल्क हस्तांतरण हेतु राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात विभाग की ओर से राज्यादेश निर्गत किया जायेगा। गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) के लिए निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र के बाद उपरोक्त प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक उसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत नहीं किया जायेगा।

30/04/15

कृ०पृ०उ०

4. भारत सरकार/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कम्पनियों/प्रतिष्ठानों/उद्यमों/एजेन्सियों/ निगम/बोर्ड (प्रयोक्ता एजेन्सी) के लिए गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल–सखुआ, जंगल इत्यादि) के अपयोजन हेतु संबंधित उपायुक्त एवं प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा निम्नांकित रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा:–

"गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल–सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो जिला–....., अंचल–.....मौजा–....., थाना सं०–.....खाता सं0–....., प्लॉट सं०–..... ....., किस्म भूमि.....में कुल रकबा–..... में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायगा। गैर मजरूआ ,जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा। "

इस प्रकार पूर्व निर्गत राजस्व विभागीय परिपत्र सं०–1521/रा० दिनांक–08.06.2010 को संकल्प निर्गत की तिथि से संशोधित समझा जायेगा।

अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि:–

"झारखण्ड राज्यान्तर्गत केंन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/प्रतिष्ठानों/उद्यमों/एजेंसियों/निगम/बोर्ड/निजी कंपनी द्वारा एक परियोजना के अन्तर्गत केवल गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी, जंगल–सखुआ, जंगल इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु एक परियोजना के अन्तर्गत अधिकतम 25.00 (पच्चीस) एकड़ भूमि तक संबंधित उपायुक्त एवं 25.00 (पच्चीस) एकड़ से अधिक भूमि का संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाएगा एवं भूमि संबंधी अनापत्ति तथा हस्तांतरण आदि संबंधी मामलों में मुख्यालय के साथ–साथ प्रमंडलीय आयुक्त तथा उपायुक्त तत्संबंधी आदेशों को पारदर्शी व्यवस्था के अनुरूप Website में नियमित रूप से upload करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस उद्देश्य से भूमि उपलब्ध कराई जा रही है, उन उद्देश्यों की परिपूर्ति हो। किसी भी प्रकार से विचलन की अवस्था में संबंधित स्तर से अविलम्ब सम्यक कार्रवाई की जायेगी।"

आदेश:– इस संकल्प को ई–गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

30/04/15

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/स०भू० लातेहार– 1/2010 1817/CT राँची,दिनांक 30-4-15

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ वित्त विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव 30/04/15

ज्ञापांक–5/स०भू० लातेहार– 1/2010 1817/C राँची,दिनांक 30-4-15

प्रतिलिपिः– राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ तथा नोडल पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को ई–गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव 30/04/15

ज्ञापांक–5/स०भू० लातेहार– 1/2010 1817/C राँची,दिनांक 30-4-15

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव 30/04/15

ज्ञापांक–5/स०भू० लातेहार– 1/2010 1817/C राँची,दिनांक 30-4-15

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ सभी अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सदस्य राजस्व पर्षद/राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव 30/04/15